



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170365

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 9221 वर्ष 2026

विजयमल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार सिंह, शुभम कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता : देवेन्द्र सिंह कुशवाहा, पुनीत सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आज न्यायालय में दाखिल किया गया पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार सिंह, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह कुशवाहा, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदकों द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 451 वर्ष 2007 (राज्य बनाम लालजी एवं अन्य), धारा 308, 323, 504 एवं 506 भा.दं.सं., जो मुकदमा अपराध संख्या 596 वर्ष 2005, थाना- हाटा, जिला- कुशीनगर से उद्भूत है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, साथ ही दिनांक 24.01.2006 के आरोप-पत्र, जो विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II, कुशीनगर एट पड़रौना के समक्ष लंबित है, को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकार समझौते के सत्यापन हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त समझौते का विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर एट पड़रौना द्वारा दिनांक 30.04.2026 के आदेश के माध्यम से विधिवत सत्यापन किया गया है।
5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवाद आवेदकों और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के मध्य व्यक्तिगत मतभेद से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे चलाने में इच्छुक नहीं है और इसलिए पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त किया जाए तथा वे प्रति-शपथपत्र एवं प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।
6. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकार किया और कहा कि यदि आवेदकों के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
7. विद्वान ए.जी.ए. ने भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों की सत्यता पर कोई विवाद नहीं किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि सुस्थापित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2012) 10 एस सी सी 303** में अपने संविधान पीठ के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि: “लेकिन वे आपराधिक मामले, जिनमें प्रबल रूप से और मुख्यतः सिविल प्रकृति का तत्व विद्यमान हो, निरस्तीकरण के प्रयोजन के लिए भिन्न आधार पर होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वे अपराध जो वैवाहिक संबंधों से, जैसे दहेज आदि से संबंधित हों, अथवा पारिवारिक विवाद, जहां गलत कृत्य मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो। इस श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसके मत में अपराधी और पीड़ित के मध्य समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण और संदिग्ध हो तथा आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और प्रतिकूलता में डाल देगा और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण निपटारे तथा समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न किए जाने से उसके साथ घोर अन्याय होगा।”

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2017) 9 एस सी सी 641** में अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि “अशमनीय मामलों में भी समझौते के आधार



पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है, ताकि न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत हो सके और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।”

10. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में उनके मध्य लंबित कार्यवाही को वापस लेने के लिए सहमत हुए हैं। अभिलेख के परिशीलन तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि के आलोक में, वर्तमान मामला न्यायालय द्वारा समन आदेश के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त मामला है।
11. विवाद प्रथम दृष्टया पूर्णतः व्यक्तिगत प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसका पक्षकारों ने अपनी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार आपसी रूप से निस्तारण कर लिया है। अतः अभियोजन को आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
12. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दाखिल वर्तमान निरस्तीकरण आवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831/2025, एसएलपी (आपराधिक) संख्या 11642/2019** , दिनांक 02.09.2025 में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है।
13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, सत्र परीक्षण संख्या 451 वर्ष 2007 (राज्य बनाम लालजी एवं अन्य), धारा 308, 323, 504 एवं 506 भा.दं.सं., जो मुकदमा अपराध संख्या 596 वर्ष 2005, थाना- हाटा, जिला- कुशीनगर से उद्भूत है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, साथ ही दिनांक 24.01.2006 के आरोप-पत्र, जो विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II, कुशीनगर एट पडरौना के समक्ष लंबित है, एतद्वारा निरस्त की जाती है।
14. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13 अगस्त, 2026

आदित्य त्रिपाठी

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!